लिखित शेष 9 पदों को विभाग के सर्किल कार्यालयों की सामानान्तर श्रेणियों में रखा/खपा लिया गया था :—

अधीक्षक (तकनीकी)	1
तकनीकी सहायक	1
हेडक्लर्क	1
माडलर ग्रेड 2	1
अवर श्रेणी लिपिक	5
जोड़	9

(घ) **मंत्रालय खास** —9 स्थायी अवर श्रेणी लिपिक जो स्थानापन्न रूप में अवर श्रेणी लिपिकों के पदों पर कार्य कर रहे थे, उन्हें उनके मूल पदों पर पदावनत कर दिया गया था क्योंकि पद समाप्त हो गए थे। क्योंकि यह सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम मामला है इसलिए इससे किसी को हानि पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण—एक माडलर ग्रेड 2 को कुछ हानि हुई थी क्योंकि उसको निम्न ग्रेड में खपाया गया था।

(ङ) **मंत्रालय खास**—प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण—स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों के अनुसरण में माडलर ग्रेड 2 का एक पद समाप्त कर दिया गया था तथा गृह मंत्रालय के फालतू सैल ने उसे किसी अन्य पद पर नियुक्त करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। परिणामतः गृह मंत्रालय के सुझाव पर, पदधारी को अवर श्रेणी लिपिक के पद का प्रस्ताव किया गया था उन्होंने स्वीकार कर लिया था और वह उत्तम पद पर नियुक्त कर दिए गए थे।

Complaints pending with District Judge, Delhi

5284. SHRI S. P. RAMAMOORTHY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5197 on the 20th December, 1968 and state:

(a) the date on which the applications pending under Section 476/479-A of C.P.C. were filed, the number of proceedings held datewise, and the number of witnesses examined; and

(b) the action taken on the complaints against the illegalities in the court and disappearance of documents, the names of the courts involved, the number of cases in which the courts of inquiries were instituted, the number of cases in which the cases were referred to lower courts for instituting the courts of inquiries and the names of such courts, and the fate of such references?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) An application was filed on 24th October, 1968 and the proceedings were held on 28th October, 1968; 16th November; 1968; 30th November, 1968; 4th January, 1969; 25th January, 1969; 12th February, 1969; 15th March, 1969; 7th April, 1969; 25th April, 1969; and 24th May, 1969. No witness was examined. The application was dismissed on 24th May, 1969.

(b) There were 75 complaint against the illegalities in the courts and disappearance of documents. The action taken on them is as under.

In 19 complaints inquiry reports are being awaited from the courts of S/ Shri B. B. Gupta, H. S. Malik, Shamsher Singh Kanwar, Harminder Singh Bakshi, Gian Inder Singh, Pyare Lal Singla Vidya Bhushan Bansal, Vinod Sagar Aggarwal, Sub-Judges and Shri P. K. Bahri, Additional Rent Controller. In one complaint proceedings have been stayed by the High Court. One complaint was sent to the Police and proceedings are now pending in the court of Shri K. N. Joshi, M.I.C. Delhi.

No official was found responsible for disappearance of documents in 10

complaints. In one complaint an official of the office of the Deputy Commissioner, Delhi, was found responsible for the loss of documents. The Deputy Commissioner has been asked to take necessary action against him.

One complaint which was referred to the police has been filed as untraced.

In five complaints officials at fault have been warned to be careful in future.

In five complaints no action could be taken against the officials held responsible as they had already retired or dismissed from service.

In two complaints one grade increment of each official found responsible was withheld without commulative effect.

In two complaints the officials have been fined.

In twenty-two complaints the officials have been charge-sheeted and inquiries are still pending.

In 2 complaints show cause notices for withholding one grade increment have been issued.

In 4 complaints regarding illegalities the officials concerned have been charge-sheeted and the inquiries are still pending.

In 30 complaints the missing documents have been reconstituted or traced out and in the remaining complaints efforts are being made for the reconstruction of the missing documents.

पांच दिन तक बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना

5285. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को श्री बी० पी० मण्डल की सरकार द्वारा पांच दिन का वेतन इस कारण नहीं दिया गया था कि उन्होंने 5 दिन हड़ताल की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री भोला पास्वान शास्त्री के नेतृत्व में बनी दूसरी संयुक्त सरकार ने यह वेतन देने का निर्णय किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार में जैसे ही राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया राज्यपाल ने उस निर्णय को लागू करने से इन्कार कर दिया; यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष श्री शास्त्री के नेतृत्व में बनी सरकार ने 5 दिन के वेतन का भुगतान करने का निर्णय किया था; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि बिहार के वित्त विभाग ने भी इस बारे में अपनी स्वीकृति दे दी थी; और यदि हां, तो बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों को अब तक 5 दिन का स्वीकृत वेतन न दिये जाने के क्या कारण है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) शोषित दल सरकार ने उन कर्मचारियों को वेतन न देने का निश्चय किया था जो फरवरी, 1968 में 5 दिन तक हड़ताल पर रहे थे।

(ख) श्री भोला पास्वान शास्त्री के नेतृत्व में दूसरे संयुक्त मोर्चा मंत्रिमंडल ने 25 जून, 1968 को त्यागपत्र देने के बाद 26 जून, 1968 को निर्णय किया कि हड़ताल की अवधि के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को उनके वेतन के बराबर तदर्थ अदायगी की जाय।

(ग) 1968 में राष्ट्रपति शासन के दौरान (ख) में दिये निर्णय पर गौर किया